RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 अक्टूबर, 2016 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 13, अंक : 5

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

मुम्बई में दिनांक 17/18/19 अक्टूबर, 2016 को Reed Manch द्वारा India Cold Chain Show का आयोजन किया गया था। इसमें फेडरेशन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया जिसमें मुख्यतः हमारे साथ श्री आशीष गुरू, श्री गुब्बा नागेन्द्र राव, श्री मुकेश अग्रवाल, श्री हंसमुख जैन गाँधी, श्री लालजी सावला, श्री राजेश गोयल व श्री हितिन सूरी उपस्थित रहे।

जब तक यह पत्रिका आपके हाथों में होगी, अक्टूबर माह समाप्त हो चुका होगा इसी के साथ नामित भण्डारण समाप्त हो चुका होगा परन्तु आपके शीतगृहो में अभी अच्छी मात्रा में आलू बच रहा होगा।

सरकार ने शीतगृह चलाने की अवधि नवम्बर 30, 2016 तक बढ़ा दी है। अतः हम शीतगृह 30 नवम्बर तक चलायेंगे और यदि नवम्बर माह का अतिरिक्त भाड़ा लेना चाहे तो ले भी सकते हैं। यह अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस समय आलू भण्डारणकर्ता जिन्होंने अभी तक आलू बेचा नहीं है या बेच नहीं पाये हैं घबराए नहीं, आलू की नई फसल आने में अभी काफी विलम्ब है। हमें →

पूर्ण आशा है कि आलू के भाव ठीक होंगे और आलू बहुत इज्जत से निकल जायेगा। अभी से ही आलू के बाजार में घबराहट की कमी व भाव में थोड़ी–थोड़ी मजबूती देखी जा रही है। फिर भी आलू की निकासी बहुत तेज हो रही है। अधिकांश बीज आलू की निकासी में लगे हुए हैं और इस कारण से भी मण्डियों में आलू कम पहुँच पर रहा है।

इन्दौर मीटिंग के सम्बन्ध में :

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग इन्दौर में 16/17 दिसम्बर, 2016 को आयोजित की गई है इस मीटिंग में आइस कम्पनी का भी सहयोग प्राप्त है। 16 तारीख को आइस कम्पनी द्वारा बढ़िया वक्ताओं का इन्तजाम किया गया है जिसमें मुख्यतः National Center for Cold Chain Development व National Horticulture Mission व National Horticulture Board के अधिकारी रहेंगे और शीतगृह सम्बन्धी जानकारियाँ देंगे। हम चाहते है कि हमारे सदस्य इस मीटिंग में अपनी समास्याओं को अवश्य प्रस्तुत करें। उठाए गए प्रश्नों को लिखित रूप में हमें भी भेजे जिससे की जिन प्रश्नों का उत्तर सही रूप से न मिल सके उन्हें हम बाद में पत्र लिखकर अधिकारी से मँगा सकें। 17 तारीख की मीटिंग मुख्यतः फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की होगी जिसमें हर क्षेत्र की प्रगति के बारे में जानकारी दी जायेगी। काफी अच्छी संख्या में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के सदस्य प्रदेश अध्यक्ष, इसमें सम्मलित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी तमाम सदस्यों के इन्दौर पहुँचने की सूचना मिल रही है। काफी अच्छी संख्या में हमारे पास होटल खर्च व Registration Fees भी जमा करा दी है।

हमारा अपने सदस्यों से अनुरोध है कि वह 16 दिसम्बर, 2016 की सुबह इन्दौर जरूर पहुँच जाये और 16 की रात व 17 की रात इन्दौर में रूकें। सारा विवरण हमने अपने ई मेल पत्र द्वारा अपने सब सदस्यों को भेज दिया है यदि फिर भी आपको कुछ पूछना है तो निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। साधारण पत्र या ई मेल पत्र भेंजे।

इस मीटिंग को शीतगृहों के लिए उपयोगी बनाने के लिए 16 तारीख को विशेष चर्चा आयोजित की गई है। इसमें सब्सिडी, बैंक लोन, आदि सुविधाओ के बारे मे विशेष रूप से बताया जायेगा। चेष्टा की जा रही है कि सोलर पावर पर भी विस्तृत जानकारी दी जाये। इस कारण से शीतगृहस्वामियों की यह मीटिंग काफी दिलचस्प रहेगी। साथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त होगा। इन दर्शनों के लिए मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने विशेष प्रबन्ध किया है। साथ में दर्शनों के लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए मध्य प्रदेश का विशेष रात्रि भोजन का भी इन्तजाम किया गया है। →

इन्दौर मीटिंग :

- ❑ **ठहरने का स्थान** : Brilliant Convention Centre Nakshatra
  Plot No:5, Part II, Scheme 78,
  Near Life Care Hospital, Vijaynagar,
  Indore – 452010 (Madhya Pradesh)
- ❑ **मीटिंग का स्थान** : Orion Hall
- ❑ **कुल खर्च** :
  1. **रजिस्ट्रेशन** : प्रति व्यक्ति 500 रूपए एक शीतगृह एक से अधिक व्यक्तियो का रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
  2. **ठहरने का खर्च** : प्रति व्यक्ति 5500 रूपए 16.12.2016 और 17.12.2016 की रात्रि के लिए। यदि और अधिक रात्रि ठहरना हो तो इसी अनुपात में खर्च आयेगा। यह कमरे, एक कमरे में दो व्यक्तियों की व्यवस्था के अनुसार मिलेंगे। इसमें सुबह का नाश्ता होटल द्वारा दिया जायेगा।

16.12.2016 की सायं दो बजे के बाद से कमरे दिये जायेंगे।

रूपया कहा भेजें?

5500+500 रूपए प्रति व्यक्ति दो रात्रि के ठहरने के लिए हमारे नीचे दिए बैंक एकाउण्ट में जमा करवाये और हमें इसकी लिखित सूचना अवश्य भेजें। जिससे यह पता लगा सकें कि यह रूपया किसने भेजा है।

- ❑ **Bank Account** : Savings Bank Account Number 680310100014689
- ❑ **Name of Account Holder** : Federation of Cold Storage Associations of India
- ❑ **Bank Address** : Bank of India
  Aishbagh Branch, Chandranagri 278/81, Aishbagh Road,
  Lucknow (U.P.) Pin 226004
- ❑ **IFSC** : BKID0006803

विशेष सावधानी :

1. हमारे Account में रूपया 15.11.2016 तक जरूर जमा हो जाना चाहिए तभी हम ठहरने की उचित व्यवस्था कर पायेंगे।
2. अपने रूपए की रसीद अपने साथ जरूर लेते आये, जिससे आपको सुगमतापूर्वक कमरा मिल सके।
3. अपना आई.डी. कार्ड जरूर लाए। यह होटल में कमरा पाने के लिए सरकारी नियम है।

→

India Cold Chain Show Mumbai :

इस शो में 100 से ऊपर कम्पनी ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। कई विदेशी Embassies ने भी स्टाल लिए हुए थे।

इस शो में National Horticulture Board के Managing Director भी उपस्थित थे, जिन्होंने शीतगृह को दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि उन पर बहुत ज्यादा प्रार्थना पत्र नए शीतगृह बनाने के लिए आ रहे हैं और इसी कारण से सब्सिडी देने में विलम्ब होती जा रही है।

श्री आशीष गुरू का एक Interview Food and Beverages Magazine में छपा है। यह अंग्रेजी में है। चूकि कई प्रान्तों में शीतगृहस्वामी अंग्रेजी में ही समझ पाते हैं। अतः हम इस interview को ऐसे का ऐसा छाप रहे है।

Cold Storage grows by 12-15% in bulk storage capacity

Monday, 19 September, 2016, 08:00 AM (IST)

The Federation of Cold Storage Associations of India (FCAOI) is an all India Association with members in most of the states in the country. The foundation of this federation was laid in the year 1999 and it was formally registered on August 16, 2001. Ashish Guru, senior VP, FCAOI; President, Gujarat Cold Storage Association, Gujarat, in an email Interaction with Anurag More highlights the current scenario in the cold storage market in India, its role in the growth of food industry and the federation's contribution towards this end Excerpts.

How has the cold storage market evolved over the years in India for F&B industry?

First cold storage was installed at Calcutta to preserve ice. Subsequently main use of cold storage is to preserve potato. Even today 90 per cent cold storage capacity is used for potato storage. Bulk cold storages operated at potato production centres like UP, Bengal, Punjab, Bihar, Gujarat, Haryana whereas multipurpose cold storages are operated at metropolitan cities, tier I and tier II cities.

Where do you see the cold storage market by 2020?

Cold storage Industry annually grows by 12-15 per cent in bulk storage capacity. As consumer preference and habits for food ranging from vegetables, fruits and eatables, cold storage would combine to be grown. We see expansion of frozen vegetable capacity as major difference prevailed in season and off season price. Eg bitter gourd (Karela) sold in season for Rs. 20 per kg. whereas in off season it went upto Rs. 100 per kg. →

How important are cold storages in the growth of food industry?

Even today Quick Service Restaurants increase their frozen food demand and require additional cold storage capacity. Pulses, wheat, rice, spices, poultry storages are increasing day by day. This would help food industry for processing food supply even in off season.

How much of food items are wasted every year? What steps are being taken to curb the wastage of food items?

From farm to fork, agri commodity wastage and deterioration is from 10-30 per cent because of poor agricultural practices - on the part of farmers, lack of cost-effective transportation, good handling practices at cold storage and costly refrigeration infrastructure in urban area. Due to high cost of land leads to increase in quality looses. Farmers-customers market, packhouse at field and solar energy generation in remote area for preservation of perishable agri produce may reduce wastage.

What are the challenges faced by the Industry and what steps are being taken by the association and industry to overcome the chalenges?

To reduce the power expenses, Gujarat Cold Storage Association started educating members to construct rooftop solar energy power generation plant. Gujarat government and Central government is also offering subsidies for installation of rooftop solar energy generation power plant.

What are the new trends you are witnessing in cold storage of food industry?

Currently potato cultivation, production, storage statistics are emerging trends in the processed potato industry. More and more agri commodities are kept in cold storages as urban godown facility converts in commercial facility. Traders prefer cold storage facility to godown facility because of excellent storage condition and services, poultry storage is increasing day by day as season and off season price is high.

What steps are being taken by the association for the betterment of the industry?

We update our member's knowledge through monthly newsletter, visit cold chain exhibition, seminar, meeting with government officials and suggestions for problems faced by the industry. Our association constantly keeps in touch will our Federation of All India Cold Storage Association and other state associations for cold storage practices and issues faced by the industry.

What are the technological developments happening for the cold storage?

Cold storage owners now prefer precise CO2 humidity and temperature in order to get better storage results and get cold storage plants automated in refrigeration plant, government also helps us in giving subsidy for automation.

→

What kind of support you expect from the government for cold storage in food industry?

Removal of service tax on storage charges of the commodities increase in floor space index, reduction in property tax, removal of electricity duty on electricity consumption and for better utilisation of cold storages, government should proactively work for storage of food grains and pulses.

Government has supported for solar power plant, net metering policy is also implemented in major states but still problems of non-availability of directional meter. We request concerned department to co-ordinate between cold storage owners, discom companies and quick implementation of financial help for speedy installation of solar power plant. Government should come up with specific policy for potato processing as potato production increases year over year. NHM giving this subsidy to north-east states only. It should be given pan-India.

आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रीकर को स्मृति चिन्ह भेट करते हुए, जबकि वह 6 अक्टूबर, 2016 को आगरा पधारे थे।

कोल्ड स्टोरेज के लाईसेन्स के सम्बन्ध में :

हम अपने सदस्यों को अनेक बार लिख चुके हैं कि जहाँ तक हो शीतगृह का लाईसेन्स नवीकरण एक वर्ष के बदले पाँच वर्ष का कराये। इसे निम्न दिए सरकारी आदेश के अनुसार चार वर्ष की फीस जमा करने पर पाँच वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। पाँच वर्ष के लिए लाईसेन्स करा लेने पर आप पाँच साल तक इस सम्बन्ध में चैन से सो सकते हैं। →

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1 संख्या – 379/58–1–2001–100 (27)/90

लखनऊ : दिनांक : 23 अगस्त, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 (उ.प्र. अधिनियम) संख्या 11 सन् 1976 (की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति एवं प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देने) नियमावली 1976 की संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) वह नियमावली उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. नियम–9 का संशोधन :

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेंस देना) नियमावली, 1976 में नीचे स्तम्भ–1 में विद्यमान नियम–9 के स्थान का संशोधन पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9– धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए धारा–6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेंस इस नियमावली के नियम 10 के अधीन लाइसेंसधारी के आवेदन पत्र पर और नियम 11 के अधीन निहित फीस देने पर, समय–समय पर एक कलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किया जायेगा।	9– धारा 7 में निर्धारित शर्तों या धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए धारा–6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेंस इस नियमावली के नियम 10 के अधीन लाइसेंसधारी के आवेदन पत्र पर और नियम 11 के अधीन निहित फीस देने पर, समय–समय पर एक कलेण्डर वर्ष के लिए नवीकृत किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि एक कलेण्डर वर्ष से किये विहित फीस का चार गुना अग्रिम भुगतान करने पर किसी लाइसेंस का नवीकरण पाँच वर्ष के लिए किया है।

आज्ञा से **सचिव**

लखनऊ में 16.11.2016 को होने वाली आमोनिया मीटिंग के सम्बन्ध में :–

आप सबको हम अपनी ई मेल द्वारा अवगत करा चुके है कि 16.11.2016 को लखनऊ मे आमोनिया पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग का मुख्य उददेश्य है कि हम शीतगृहस्वामियो को आमोनिया गैस के बारे मे विस्तार से जानकारी उपलब्ध करा सके। यदि आप आमोनिया को भली प्रकार जानते है तो आमोनिया गैस सबसे ज्यादा सुरक्षित गैस बन जाती है।

आपको बताया जायेगा कि आमोनिया गैस आपके प्लांट में किस प्रकार कार्य करती है? आपके प्लांट की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? Suction व Delivery Pressure कितने रखे जाने चाहिए जिससे प्लांट सही चले व बिजली कम से कम खर्च हो? यह तमाम चीज़े आपको समझना बहुत जरूरी है। यह आप अपने इंजीनियर को समझा पायेंगे अन्यथा आपको इंजीनियर की बात माननी पड़ेगी वह शायद कुछ भी पढ़ा ना हो।

अपने सदस्यों की सुविधा के लिए हम अपनी ई मेल नीचे दे रहे हैं।

416 / सीं.एस.ए.27 / 37 / 2016 दिनाक 12.10.2016

समस्त सदस्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

विषय : लखनऊ मे 16 नवम्बर, 2016 को होने वाली मीटिंग के सम्बन्ध में

बन्धुवर,

अपनी एसोसिएशन ने व Association of Ammonia Refrigeration ने मिलकर एक मीटिंग का आयोजन किया है।

यह मीटिंग 16 नवम्बर, 2016 को लखनऊ में होगी। कृपया ध्यान दें कि मौखिक रूप से इस मीटिंग को करने की घोषणा 15.11.2016 को की गई थी लेकिन अब इसे 16 नवम्बर, 2016 बुधवार के लिए कर दिया गया है।

मीटिंग के स्थान की सूचना हम आपको अपनी अगली ई मेल से भेजेंगे।

यह बहुत ही आवश्यक मीटिंग है। और हम आशा करते है कि आप लोग अवश्य इसका फायदा उठायेंगे।

इस मीटिंग में आमोनिया से सम्बन्धित, देश के जाने माने लोग आ रहे है, जो कि आपको आमोनिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाये के बारे मे बतायेंगे। आपको यह भी बताया जायेगा कि यदि सही तरीके से आमोनिया का प्रयोग किया जाए तो आमोनिया उतनी संकटपूर्ण नहीं है जैसा प्रचार किया जाता है, या जैसे हम लोग अपने नित्य प्रयोग में पाते हैं।

हमें यह भी बताया जायेगा कि हम अपने शीतगृह की मशीनरी, पाइप लाइन, प्रेशर वाल्व आदि की जाँच कैसे करें व किस प्रकार सुरक्षा करें।

→

यदि हम आमोनिया का सही तरीके से प्रयोग समझ जाते हैं तो हमें दुर्घटनाओं से बचने के साथ–साथ बहुत अधिक बिजली की बचत कर पायेंगे। अभी हम में से अधिकांश को तो यह भी नहीं पता होगा कि Suction और Delivery Pressure कितने चलने चाहिए। बंकर क्वायल के अधिक बर्फ से कैसे बचना चाहिए? आमोनिया से होने वाले धमाकों से बचाव कैसे किया जाना चाहिए? आदि तमाम बिन्दु ऐसे हैं जिन पर प्रकाश डाला जायेगा। इन सब पर यह भी बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रश्नों को तैयार करके लाये और अपनी शंकाओ को दूर करें।

1. मीटिंग मे आने की सूचना हमें 7.11.2016 तक अवश्य मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर होटल में मीटिंग व खाने की व्यवस्था की जायेगी।
2. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्यों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस प्रति व्यक्ति 500 रूपए होगी।
3. अन्य संस्थाओं के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस होगी।
4. रजिस्ट्रेशन फीस आप हमारे नीचे दिए गए बैंक खाते में जमा कर सकते है

Bank Details :

- **Bank Account** : Savings Bank Account Number 680310100010161
- **Name of Account Holder** : Cold Storage Association U.P.
- **Address** : C/o Swarup Cold Storage,
  Water Works Road, Aishbagh,
  Lucknow (Uttar Pradesh) Pin-226004
- **Bank Address** : Bank of India,
  Aishbagh Branch, Chandranagri 278/81, Aishbagh Road,
  Lucknow (U.P.) Pin–226004
- **IFSC** : BKID0006803

हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि शीतगृहस्वामियों के लिए यह मीटिंग बहुत लाभदायक होगी। हम इस तरह की तैयारी कर रहे है कि शीतगृहों पर हर सलाह के लिए अपने मिस्त्रियों पर निर्भर न रहना पड़े।

कार्यक्रम

दिनांक : 16.11.2016 बुधवार

विषय		समय
मीटिंग प्रारम्भ	:	प्रातः10.00 बजे
उद्घाटन	:	10.00 बजे से 10.30 बजे

→

- ❑ आमोनिया सबसे सुरक्षित रेफ्रीजरेन्ट कैसे हैं? : 10.30 बजे से 11.30 बजे

चाय : 11.30 बजे से 12.00 बजे

विषय	समय
❑ मशीन के सिस्टम मे आमोनिया किस प्रकार कार्य करती है?	: 12.00 बजे से 12.30 बजे अपराह्न
❑ मशीनों को सुरक्षित कैसे रखें?	: 12.30 बजे से 1.00 बजे अपराह्न
❑ प्रश्नोत्तर	: 1.00 बजे से 1.30 बजे अपराह्न

लंच : 1.30 से 2.30 बजे तक

❑ मशीनों की व पाइपों की चेकिंग जिससे दुर्घटना ही न हो।	: 2.30 बजे से 3.30 बजे अपराह्न
❑ प्रश्नोत्तर	: 3.30 बजे से 4.00 बजे सायं

सायं चाय : 4.00 बजे

सधन्यवाद,

विषय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सम्बन्धी सरकारी आदेश :

कृपया ध्यान दें कि हम यह सरकारी आदेश अपनी पत्रिका में पहले भी प्रकाशित कर चुके हैं, फिर भी अपने सदस्यों की सहूलियत के लिए हम इसे पुनः अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर रहे हैं और आप सबको ई मेल के द्वारा भी सूचित कर चुके हैं।

1. सरकारी आदेश संख्या G20492/विविध–73/2015 दिनांक 18.06.2015 के अनुसार अब शीतगृहों को भी बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करनें की बाध्यता से मुक्त किया गया है, अब आपको नए शीतगृह बनाने के लिए, नया शीतगृह कक्ष लगाने के लिए या किसी भी प्रकार की लोन application के लिए, जहाँ भी स्थापनार्थ सहमति पत्र प्राप्त करने की आवश्कता हो, वह सहमति पत्र अब नहीं देना है चाहे आपके पास 5 KVA से अधिक का generator लगा हो, क्योंकि शीतगृहों में 5 KVA से अधिक का Generator केवल standby के रूप में ही लगाया जाता है।
2. ऐसे उद्योगों को अब सहमति आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के साक्ष्य को ही उक्त उद्योग हेतु सहमति मानी जाती है जो कि प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीनीकरण होगी, जब तक की उक्त उद्योग द्वारा उत्पादन प्रकिया में परिवर्तन, उत्पाद की मात्रा में वृद्वि अथवा नए उत्पाद के उत्पादन का कार्य नहीं किया जाता। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर यह सरकारी आदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। →

3. पहले शीतगृहों को यह छूट केवल जब तक उपलब्ध थी जब तक की वह 5 KVA के Generator से अधिक क्षमता का Generator न इस्तेमाल करते हो परन्तु अब यह शर्त हटा दी गई है। अब केवल शर्त यह है कि अधिक क्षमता का Generator केवल standby व्यवस्था के रूप में कार्य करता हो। इसके लिए हम सरकारी आदेश प्रस्तुत कर रहे हैं।

4. हो सकता है कि यह आदेश आपको अपने शीतगृह के लाईसेन्स के नवीनीकरण में काम आये। नए शीतगृहों के लिए तो अवश्य उपयोगी होंगे, यदि आप 220 उद्योगों की लिस्ट भी चाहे तो हमें लिख सकते हैं हम भेज देंगे या हमारी Website पर जाकर देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी.–12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

संख्या : जी20492 / विविध–73 / 2015 दिनाक 18.06.2015

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने एवं स्थापित परियोजनाओं में विभिन्न विभागों से उद्यमियों द्वारा वांछित स्वीकृतियाँ / प्रमाण पत्रों / अनापत्तियों आदि को प्राप्त करने हेतु प्रदेश में लागू एकल मेज व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ / प्रभावी एवं उद्योगपरक बनाने हेतु निवेश मित्र व्यवस्था प्रदेश में सुचारू रूप से कार्य कर रही है। दिनांक 25.04.2015 को मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निवेश मित्र व्यवस्था के तहत प्राप्त बोर्ड में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की गयी थी एवं पाया गया कि कई बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निवेश मित्र व्यवस्था के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति में एतदद्वारा बोर्ड के समस्त संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि –

1. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–जी16553 / 32 / 2013 / 86, दिनांक 10.09.2013 द्वारा उद्योगों को प्रदूषण के आधार पर क्रमशः लाल, हरी व नारंगी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य परिस्थिति में बोर्ड मुख्यालय स्तर से प्रमुख प्रदूषणकारी (लाल श्रेणी) के उद्योगों के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित अधिनियमों के तहत प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति के प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से हरी एवं नारंगी श्रेणी के उद्योगों के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

→

यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित अधिनियमों के प्राविधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति के प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। उक्त हेतु अधिनियमों के तहत प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नवत् व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निर्धारित की जाती है :–

(i) प्रमुख प्रदूषणकारी (लाल श्रेणी) के उद्योगों से प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों एवं बोर्ड द्वारा प्रदत्त की गई स्वीकृतियों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक 03 माह के उपरान्त निरीक्षण किया जायेगा।

(ii) नारंगी श्रेणी के उद्योगों से प्राप्त विभिन्न आवदेन पत्रों एवं बोर्ड द्वारा प्रदत्त की गई स्वीकृतियों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक 04 माह के उपरान्त निरीक्षण किया जायेगा।

(iii) हरी श्रेणी के उद्योगों से प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्रों एवं बोर्ड द्वारा प्रदत्त की गई स्वीकृतियों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक 06 माह के उपरान्त निरीक्षण किया जायेगा।

2. बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या – जी02164/37/ए.आर.एन./97, दिनांक 03.06.1997 के द्वारा चिन्हित की गई 220 श्रेणी के उद्योगों को बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त किया गया है एवं उक्त श्रेणी के उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अंतर्गत सहमति आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के साक्ष्य को ही उक्त उद्योग हेतु सहमति मानी जाती है, जो कि प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीनीकरण होगी, जब तक कि उक्त उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन, उत्पाद की मात्रा में वृद्धि अथवा नये उत्पाद का उत्पादन कार्य नहीं किया जाता है।

3. सामान्य परिस्थिति में उद्योग से विभिन्न अधिनियमों के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में URL http://www.uppcb.com/board_struc.htm पर उपलब्ध विभिन्न जनपदों हेतु निर्धारित क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या विलम्बतम 48 घंटे के अन्दर निवेश मित्र व्यवस्था के तहत वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(सैयद जावेद अब्बास)

अध्यक्ष

→

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

संख्या : एफ 11705 / सी–3 / विधि–73 / निवेश नीति / 09–12 दिनाक 15.10.2012

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के क्रम संख्या 2.1.3–4 में यह प्राविधान किया गया है कि ''प्रदूषण विहीन इकाइयों को केवल स्टैन्ड बाई व्यवस्था के रूप में जेनरेटर उपयोग करने की दशा में 5 के.वी.ए. तक के जेनरेटर हेतु प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से छूट अनुमन्य हैं। नई नीति के अंतर्गत 5 के.वी.ए. से अधिक के जेनरेटर प्रयोग पर भी ऐसी इकाईयों को प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा।''

उक्त के अनुपालन में एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि 'प्रदेश में सक्षम अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत घोषित संवेदनशील क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित प्रदूषण विहीन इकाइयों में 5 के.वी.ए. की अधिक क्षमता के स्टैण्ड बाई व्यवस्था के रूप में जेनरेटर उपयोग करने की दशा में पृथक से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथसंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा परन्तु उक्त स्टैण्ड बाई व्यवस्था के रूप में स्थापित किये जाने वाले जेनरेटरों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमों में किये गये प्राविधानों के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(वसीम अहमद खान)

अध्यक्ष

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित